कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2022 / 1241

दिनांक :: 29 जून 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री (डॉ.) इन्द्रजीत यादव आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जून, 2022 को दोपहर बाद 3.30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **26 अप्रेल 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **26 अप्रेल 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण) द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड का क्षेत्रफल 7872 वर्गमीटर प्राप्त होता है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 1345 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण की अवाप्तसुदा भूमि में विकसित एवं अधिसूचित कॉलोनी विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में स्थित है। उक्त भूमि की वर्तमान रिजर्व प्राईज 13,000/– रू. प्रतिवर्गमीटर है इसके आधार पर उक्त भूमि की कीमत 13,000 x 5,000 = 6,50,00,000/– (6 करोड़ 50 लाख) रूपये होते है। लेकिन विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्ताव में वर्णित 5,000 वर्ग मीटर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) कार्यालय एवं तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी का निर्माण/स्थापना किये जाने हेतु आवंटन की जानी है। जबकि प्रकरण में प्रपत्र–स उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) कार्यालय हेतु भूमि आवंटन का ही प्राप्त है तथा तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी के निर्माण/स्थान किये जाने के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त किया जाना शेष है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी हेतु प्रपत्र–स प्राप्त करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) कार्यालय एवं तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी के निर्माण हेतु विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से 5,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 906 किस्म बारानी–प्रथम में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 906 किस्म बारानी–प्रथम में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के

खसरा संख्या 906 रकबा 5.15 बीघा किस्म बारानी–प्रथम में से **राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय** प्रयोजनार्थ 02 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 906 रकबा 5.15 बीघा किस्म बारानी–प्रथम राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर स्कूल बनी है एवं चार दीवारी निर्मित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 906 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय को 24 मीटर (80फीट) रोड़ व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है एवं प्राथमिक विद्यालयों को 18 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। उक्त भूमि पीडब्ल्यूडी से प्राप्त डाटा अनुसार एमडीआर पर स्थित है व गुगल इमेज अनुसार प्रस्तावित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में भी मार्ग मौजूद है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 906 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 906 रकबा 5.15 बीघा किस्म बारानी–प्रथम में से **राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय** प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 319 किस्म बारानी–प्रथम में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 319 किस्म बारानी–प्रथम में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 319 रकबा 91.19 बीघा किस्म बारानी–प्रथम में से **राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय** प्रयोजनार्थ 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 319 रकबा 91.19 बीघा किस्म बारानी–प्रथम राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर स्कूल बनी है एवं चार दीवारी निर्मित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 319 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय को 24 मीटर (80फीट) रोड़ व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है एवं प्राथमिक विद्यालयों को 18 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 319 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 319 रकबा 91.19 बीघा किस्म बारानी–प्रथम में से **राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय** प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान** प्रयोजनार्थ 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 117 ग्राम डांगियावास का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू–2 प्रयोजनार्थ, Plantation along water body में स्थित है व ग्रामीण रोड़ पर स्थित है। डीसीआर अनुसार खेल मैदान का पृथक से उल्लेख नहीं है। पब्लिक/सेमीपब्लिक उपयोग में अनुज्ञेय गतिविधियों में 24 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर As per requirement of Conserned Department दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 117 ग्राम डांगियावास की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मेदान** प्रयोजनार्थ 10 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम बासनी निकुम्बा के खसरा संख्या 7/2 किस्म बारानी–द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बासनी निकुम्बा के खसरा संख्या 7/2 किस्म बारानी–द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बासनी निकुम्बा के खसरा संख्या 7/2 रकबा 01 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बासनी निकुम्बा के खसरा संख्या 7/2 रकबा 01 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर स्कूल बनी है एवं चार दीवारी निर्मित है एवं साथ ही चार दीवारी में एक आंगनवाड़ी केन्द्र भी है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 7/2 ग्राम बासनी निकुम्बा का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार मिक्सड लैण्डयूज दर्शाया गया है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को 18 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। सड़क पहुंच मार्ग की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जानी अपेक्षित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 7/2 ग्राम बासनी निकुम्बा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बासनी निकुम्बा के खसरा संख्या 7/2 रकबा 01 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय** प्रयोजनार्थ 01 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **उपस्वास्थ्य केन्द्र** प्रयोजनार्थ 0.1619 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 81 ग्राम भगतासनी का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू-2 में स्थित है। उक्त भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट, 100 फीट प्लांटेशन बेल्ट हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार यू-2 में गर्वमेन्ट डिसपेन्सरी को 60 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 81 ग्राम भगतासनी की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपस्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम भगतासनी के खसरा संख्या 81 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 किस्म गै. मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 रकबा 63.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **पशु चिकित्सा उपकेन्द्र** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 रकबा 63.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवेदित भूमि पर वर्तमान में श्री कृष्णा चांद कंवर गौशाला समिति

उचियारडा पंजीयन दिनांक 16.02.2015 कं 242/ जोधपुर 2014–15 की मय बांउड्री चार दीवारी है। इसी बांउड्री में पश्चिम दक्षिण की तरफ रोड पर ग्राम पंचायत द्वारा 0.10 बीघा भूमि पशु चिकित्सालय हेतु मांग की है। गौशाला का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 05 ग्राम उचियारडा का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार वेटेनरी हॉस्पीटल का पृथक से उल्लेख नहीं है व डिसपेन्सरी, क्लिनिक को 12 मीटर एवं हॉस्पीटल 20 बैड को 18 मीटर, 60 बैड को 24 मीटर एवं 60 बैड से अधिक को 30 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 05 ग्राम उचियारडा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक .... दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 05 रकबा 63.17 किस्म गै.मु. गोचर में से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ 01 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 रकबा 16.6973 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **उपस्वास्थ्य केन्द्र** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 रकबा 16.6973 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 60 ग्राम सागासनी का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू–2 में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार यू–2 में गर्वमेन्ट

डिसपेन्सरी को 60 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार व अन्य पब्लिक और सेमीपब्लिक उपयोग को 80 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर As per requirement of concerned department दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 60 ग्राम सागासनी की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 347 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपस्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम सागासनी के खसरा संख्या 60 रकबा 16.6973 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र-स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1893 किस्म बारानी-तृतीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवलादो की ढाणी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1893 किस्म बारानी-तृतीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवलादो की ढाणी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1893 रकबा 1.06 बीघा किस्म बारानी-तृतीय में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय** प्रयोजनार्थ 0.16 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1893 रकबा 1.06 बीघा किस्म बारानी-तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1893 ग्राम बिसलपुर का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को 18 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। सड़क पहुंच मार्ग की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जानी अपेक्षित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 1893 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 378 दिनांक 17.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1893 रकबा 1.06 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **राजकीय प्राथमिक विद्यालय** प्रयोजनार्थ 0.16 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: भू–जल विभाग, जोधपुर–प्रशासनिक कार्यालय व जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु खसरा संख्या 45 ग्राम चौखा में 44 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	भू–जल विभाग, जोधपुर–प्रशासनिक कार्यालय व जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु खसरा संख्या 45 ग्राम चौखा में 44 बीघा भूमि आवंटन के संबंध मे नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मुख्य अभियंता भू–जल विभाग जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत सरकारी कार्यालय निर्माण प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत् प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 45 रकबा 806 बीघा किस्म गै. मु. पहाड में प्राधिकरण की योजना राजीव गांधी कॉलोनी के पीछे पश्चिम की ओर भूमि उपलब्ध है जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग जेडडीपी अनुसार यू–2 में आरक्षित है। जेडडीपी की 18 मी. प्रस्तावित सडक एवं एमडीपी की 60 मी. प्रस्तावित सडक गुजर रही है। यू–2 की एमडीपी–31 की डीसीआर अनुसार पीएचईडी कैंपस का उल्लेख है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 रकबा 806 बीघा भूमि में से 44 बीघा भूमि भू-जल विभाग के सरकारी कार्यालय के निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के समक्ष निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के पत्रांक एफ-46/आवंटन(पश्चिम)/2022/1352 दिनांक 26.05.2022 को राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया।

प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमान भाखरी ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा नं. 1/44 में स्कूल हेतु भूमि आवंटन।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमान भाखरी ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा खसरा नं. 1/44 में स्कूल हेतु भूमि आवंटन की नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत् प्रपत्र-स, परिशिष्ट-1 प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 1/44 रकबा 16.5192 हेक्टर किस्म गै. मु. ठरडा में स्थित है जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग एमडीपी-2031 अनुसर रूरल एरिया में आरक्षित है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानो पर 6000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर से निशुल्क आवंटन किया जाने के आदेश है।

अतः राजकीय प्राथमिक विद्यालय (हनुमान भाखरी) ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा हेतु 4000 वर्गमीटर (सम्भागीय मुख्यालय) हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि प्रकरण में प्राधिकरण की वेबसाईट पर **25 मई, 2022** को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अपलोड किया था जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बैठक में उपायुक्त–पश्चिम ने यह भी अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव में सहवन से "राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानो पर 6000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर से निशुल्क आवंटन किया जाने के आदेश है।" अंकित हो गया है जो वास्तव में संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर ही है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर तदनुसार निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमान भाखरी ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा खसरा नं. 1/44 में स्कूल हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के लिए नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिंवरी, जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग, तिंवरी, जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत् प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 761 में भूमि रिक्त है जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में वाद लंबित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 761 ग्रम तिंवरी का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। एमडीपी–2031 के ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर के अनुसार Government utilities का उल्लेख नही है साथ ही Public Utilities is allowed on all roads after approval from competenl authority.

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में शिवाजी सिंह द्वारा आपत्ति लगायी गयी है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा तहसील स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 किस्म गै.मु. गोचर में से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में आवंटन के संबंध में प्राप्त आपत्ति का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त आपत्ति का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 किस्म बारानी–तृतीय में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 किस्म बारानी–तृतीय में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 रकबा 18.07 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **श्मशान** प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 रकबा 18.07 बीघा किस्म बारानी–तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1465/2 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार श्मशान हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.6 अनुसार भविष्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों का चयन कर श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 1465/2 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 379 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 1465/2 रकबा 18.07 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **श्मशान** प्रयोजनार्थ 01 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र–स सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र–स प्राप्त किया जाकर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 किस्म बारानी–तृतीय में कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 किस्म बारानी–तृतीय में **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी (शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 493 ग्राम बिसलपुर का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार श्मशान हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.6 अनुसार भविष्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों का चयन कर श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 493 ग्राम बिसलपुर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 380 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 493 रकबा 18.16 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से **कब्रिस्तान** प्रयोजनार्थ 04 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र–स सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र–स प्राप्त किया जाकर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: माईनोरिटी रिलीफ सोसायटी द्वारा ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

माईनोरिटी रिलीफ सोसायटी के सचिव सलीम खान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र-अ व परिशिष्ट-1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कब्रिस्तान हेतु बुझावड खसरा संख्या 18 में रकबा 25 एकड किस्म बारानी चतुर्थ में सशुल्क भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 18 ग्राम बुझावड रकबा 404 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू-उपयोग एमडीपी-2031 में यू-2 क्षेत्र में आरक्षित है। एमडीपी-2031 के अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान सीलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त सीलो का चयन कर नगरीय क्षेत्र-1, नगरीय क्षेत्र-2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में सीमित किए जा सकेंगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। एसीपी की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार कब्रिस्तान/श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः माईनोरिटी रिलीफ सोसायटी द्वारा ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में 25 एकड भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है। अतः प्रकरण में 25 एकड सशुल्क भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में भूमि आवंटन नीति के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय द्वारा मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रकरण में भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा नई स्कीम बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा नई स्कीम बाबत्।

पैरा एन. 25 आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि डालीबाई चौराहे से राजीव गांधी नगर/कुरेशी नगर जाने वाली मास्टर प्लान की 60 मीटर सडक पर स्थित है। इस सडक पर विभिन्न आवासीय योजनाएं एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूउपयोग में आरक्षित है। एमडीपी-2031 की आवासीय डी.सी.आर. अनुसार आवासीय भू-उपयोग में विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों यथा Shop, Bankes, Restaurents, hotels, shoping center, mall इत्यादि अनुज्ञेय है। उक्त भूमि के आस-पास संचालित

गतिविधिया एवं भूमि से अधिकतम राजस्व प्राप्ति हेतु सुविधाजनक शॉपिग सेन्टर हेतु योजना प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। तदानुसार ले–आउट प्लान अनुमोदन कराया जाना उचित होगा।

इसके अनुसार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.03.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 के निर्णयानुसार प्रकरण में सुविधाजनक शॉपिंग सेन्टर का ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना में कुल एरिया 18129.17 वर्गमीटर है तथा कुल भूखण्ड 90 है।

प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में सहवन से "प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.3.2022 के संख्या 07" अंकित हो गया जो वास्तव में ले आऊट प्लान समिति की बैठक है। अतः तद्नुसार प्रकरण में निर्णय लिया जाना है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार व्यवसायिक योजना लागू करने हेतु कार्यकारी समिति की योजना अनुमोदन की अभिशंषा के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 : Revised Date of Completion for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/106487)	Revised Date of Completion for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan

The Level Crossing C-168 (namely as RTO Phatak) is situated on Jaipur-Jodhpur NH-112. The Railway gate closes for nearly 70-80 times in 24 hrs with average closure time of nearly 5 to 7 minutes for each closure. The TVU for this Level Crossing was 2,30,156. In order to provide safety to the road users and to save valuable fuel & time in the interest of Public as well as of Nation, JDA Jodhpur invited the tenders for Construction of ROB at RTO Phatak after due approval of General Arrangement Drawing (GAD) of proposed ROB from CBE, North Western Railway-HQ, Jaipur. The ROB is in 'H' shape with its two legs on Jaipur-Jodhpur National Highway & other two legs on 80feet road approach. The work order was awarded amounting to Rs. 70.89 Crores with Stipulated Date of Commencement of work as 18.07.2018 and Stipulated Date of Completion as 17.01.2021 to M/s Ananta Procon Pvt. Ltd Mehsana.

Accordingly the Contractor mobilized the Machinery and Manpower at the site. The work of Test pile was stopped by Army officials on Jaipur-Jodhpur National Highway on dated 28.07.2018 by claiming the ownership rights of the land on Main Jaipur-Jodhpur NH approach. As there was no issue of Defence related ownership title of land on 80 Feet Road Approach of proposed ROB, hence the contractor carried out the work only on the available front/stretch i.e. on 80 Feet Approach Road (Right Hand side portion only). The Contractor completed the Work of 8 Piers and 7 Deck Slabs on one side of the 80 feet Road Approach

by 10th December 2019, however the dispute of Land Ownership Title for the Main Jaipur-Jodhpur NH Approach of the ROB remained unresolved with the Defence. Hence, only 1/4th of the Approach could be made available to the Contractor and the Contractor completed the ROB work in that Approach portion only, while the work on remaining 3/4th Approach could not be commenced due to Defence and non availability of hindrance free front.

After pursuance of the Land Ownership Title matter with Ministry of Defence, GOI, the Working Permission for construction of ROB was granted by MOD on Dated 14.01.2021. The Agreement was signed between Defence Estate Officer and JDA Jodhpur on Dated 12.07.2021 and later on the MoU was signed between Station Commander Jodhpur Military Station and JDA Jodhpur on Dated 01.09.2021. After the signing of Agreement and MoU, the requisite land was handed over to JDA Jodhpur on License Basis by the Defence. After getting land on License Basis, JDA Jodhpur commenced the work of Utility shifting to make available the working front to the Contractor for construction work of ROB.

Accordingly, the Contractor was directed to resume the work of ROB. The Contractor resumed the work of ROB and Service Road on 16th October 2021. Hence, nearly the work was held-up for a period of 676 Days from 10th December 2019 to 16th October 2021 due to Defense's objection over the Land Ownership Title. Hence, the matter of time extension for a period of 676 Days i.e. from Original Stipulated Date of Completion i.e. 17th January 2021 to Revised Stipulated Date of Completion as 24th November 2022 (i.e. Work Held-Up period) is submitted for approval.

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया एवं निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यकारी समिति के सदस्यो को प्रदान की गई। निदेशक अभियांत्रिकी ने अवगत करवाया कि उक्त कार्य में विलम्ब सैन्य विभाग से भूमि स्वामित्व विवाद के कारण विभागीय स्तर पर हुआ है। चूंकि कार्य में विलम्ब विभागीय स्तर पर हुआ है, अतः बिना शास्ति के कार्य पूर्ण करने की तिथी संशोधित दिनांक 24.11.2022 तक की जानी है एवं उल्लेखनीय है कि इस अवधि में प्राइस वेरियेशन का क्लॉज लागू रहेगा। बैठक मे बाद विचार–विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय में सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय में सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।

बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 15.02.2022 के एजेण्डा संख्या 03 में राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा संख्या 72/5/1 रकबा 01.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के आस–पास स्थित सडकों के निर्धारण हेतु मुख्य सडक को सम्मिलित करते हुए रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध कमिटमेंट एवम् गुगल प्लान अनुसार उक्त क्षेत्र का सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है। उक्त क्षेत्र जोधपुर–नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग–62 के पूर्व दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश

भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक है। उक्त क्षेत्र के दक्षिण में सुरपुरा बांध है तथा पूर्व दिशा में सुरपुरा बांध को जोडती हुई नहर अवस्थित है। प्रस्तावित सेक्टर प्लान की सीमाएँ निम्नानुसार है।

- पूर्व – 132 के.वी एच.टी लाईन
- पश्चिम – राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62
- उत्तर – राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 व सुरपुरा बांध को जोडने वाला जंक्शन
- दक्षिण – सुरपुरा बाईपास 60 मीटर चौडा

इस सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान में 18 मीटर व 24 मीटर की सडके प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्तानुसार सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन की अभिशंषा करते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रारूप रोड नेटवर्क प्लान पर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन होने के उपरान्त आमजन से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावेंगे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322, 322/1 बाबत् मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322, 322/1 बाबत् मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में।

श्रीमती हमदादेवी पत्नी श्री रतनलाल, श्रीमती भोलीदेवी पत्नी श्री जबराराम के वेयर हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान के प्रकरण को बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.03.2022 को निर्णयार्थ रखा गया जिसमें समिति द्वारा बाद विचार विमर्श प्रकरण में आयोजना शाखा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में आवश्यक संशोधन करने व तदुपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गयां

- मास्टर डवलपमेट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग वेयर हाउस व गोदाम प्रयोजनार्थ आरक्षित है। दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की 30 मीटर व पूर्व दिशा में जोनल प्लान की 24 मीटर सडक से प्रभावित है।
- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.11.2008 को अनुमोदित मानचित्र में (पृष्ठ संख्या 9 पर संलग्न) भूमि के उत्तर–पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा में दर्शित 80 फीट सडकों की स्थिति एवं प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में अनुमोदित मास्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त सडकों की स्थिति, एलाईनमेन्ट व विद्युत लाईन की क्षमता में भिन्नता है। उक्त के कम में आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र अनुसार सडकों के एलाईमेंट के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित मास्टर डवलपमेंट प्लान जोनल प्लान में संशोधित किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि समिति के समक्ष अवलोकनीय है।
- खसरा संख्या 322/1 के पूर्व अनुमोदित प्लान 20.11.2008 में पूर्व व दक्षिण दिशा में दर्शायी गयी 24 मीटर सडक को मास्टर प्लान 2031 अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित कर पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान में एलाईनमेंट अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रस्तावित संशोधन मोडिफिकेशन हेतु जोधपुर अधिनियम 2009 की धारा 25 में में विहित प्रकिया अनुसार आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी उचित होगी।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि समान प्रकृति के अन्य प्रकरण भी लम्बित हो सकते हैं। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर सारगर्भित रिपोर्ट के साथ समस्त प्रकरणों को एक साथ ही आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: विवेक विहार योजना के सेक्टर एच में 120 फिट रोड़ पर आवंटित भूखण्डों के क्रम में।

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	लॉटरी से आवंटित कुल 4 भूखण्ड धारको (जो कि 120 फीट से प्रभावित हो रहे है), को संशोधित मानचित्रानुसार 07 भूखण्डों में से दोनों कॉर्नर भूखण्डों को छोड़ते हुए 05 भूखण्डों की लॉटरी में रखा जाकर शिफ्टिंग किये जाने की अनुशंषा की जाती है।	लॉटरी से आवंटित भूखण्ड धारकों जो कि 120 फीट से प्रभावित हो रहे है, को संशोधित मानचित्रानुसार शिफ्टिंग किया जाना प्रस्तावित है।

आवंटित कुल 4 भूखण्ड धारको को (जो कि 120 फीट से प्रभावित हो रहे है), को संशोधित मानचित्रानुसार 07 भूखण्डों में से दोनों कॉर्नर भूखण्डों को छोड़ते हुए 05 भूखण्डों की लॉटरी में रखा जाकर शिफ्टिंग किया जाना प्रस्तावित है साथ ही अवार्ड शाखा में आवंटन पत्र जारी एवं राशि जमा वाले भूखण्डों को भी अन्यत्र शिफ्टिंग किया जाना प्रस्तावित है, जो कि किसी भी माप की रोड़ पर किया जा सकेगा।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उप सचिव एवं प्रभारी अधिकारी, विवेक विहार योजना ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद** डी.बी. सिविल रिट **पिटिशन संख्या 13076/2020 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर सेक्टर–1 अतिक्रमित भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ।**

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/105661	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर सेक्टर–1 अतिक्रमित भूखण्डों

		के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन जोधपुर के संबंध में श्री दिलीप सिंह राजवी (अधिवक्ता) द्वारा दिनांक 20.04.2021 के पत्र के द्वारा उक्त रिट की पालना बाबत लिखा गया। उक्त आदेश के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण की रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में गड्डे भरने, किये गये अतिक्रमण को हटाने तथा उक्त योजना मूलभूत सुविधाँए यथा सडक, सिविरेज लाईन का निर्माण, बिजली व पानी मूलभूत सुविधाएं उपलबध कराने के संबंध में आदेश प्रदान किये गये है। माननीय न्यायालय के इस आदेश की पालना में किये गये कार्यो पर चर्चा हेतु दिनांक 12 जुलाई 2021 को प्रातः 11.00 बजे सचिव के कक्ष में बैठक आहुत की गई । रामराज नगर योजना के सेक्टर 01 के अधिकांश भाग पर अतिक्रमण है। अतिकमण हटाने के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन कार्यवाही के दौरान कतिपय अतिक्रमियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्षयों के अनुसार कुछ अतिक्रमण रामराज योजना विकसित करने के पूर्व के है। उक्त अतिक्रमण के समस्त प्रकरणो के निर्णय में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत उक्त अतिक्रमण के भूखण्डों के स्थान पर इस योजना के अन्य सेक्टर में समतुल्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने पर सहमति व्यक्त की गई।

अतिक्रमित भूखण्डों की सूची निम्नानुसार है–

रामराज नगर योजना (सेक्टर–01) आवंटित अतिक्रमित भूखण्डों के सूची निम्नानुसार है–

क्र. स.	File FTS No.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या मय सेक्टर नम्बर	भूखण्ड का क्षैत्रफल		विशेष विवरण
				साईज	वर्गमीटर	
1	78401	भैरू सिंह / आम सिंह	251	25'x49'	113.80	भूखण्ड की राशि जमा है व दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 45 से शिफिटिग किया हुआ है
2	78402	मो अयुब / मो युसुफ	252	25'x49'	113.80	भूखण्ड की राशि जमा है व दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 03 से शिफिटिग किया हुआ है
3	78403	प्रहलाद सिंह / रूप सिंह	253	25'x49'	113.80	भूखण्ड की राशि जमा है व दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 128 से शिफिटिग किया हुआ है
4	25061	श्री अनिल शर्मा / रतन लाल शर्मा (अधिवक्ता)	271		249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
5	25068	श्री करूणनिधी व्यास /शिव राज व्यास (अधिवक्ता)	274	39'x69'	249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
6	25081	श्री महेन्द्र / श्री किशनलाल (अधिवक्ता)	278	39'x69'	249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
7		रणजीत जोशी (अधिवक्ता)	295	39'x69'	249.99	भूखण्ड की राशि जमा नहीं है

8	41180	श्री दिनेश कुमार विश्नोई / रामचंद्र विश्नोई (अधिवक्ता)	297	39'x89'	322.46	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
9	25104	श्री भुपेश गर्ग / श्री प्रहलाद सिंह गर्ग (अधिवक्ता)	298	39'x89'	322.46	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है

क्र. सं. 1 से 3 दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना ग्राम चौखा से शिफ्टिंग किये गये है जिनकी मूल राशि जमा है तथा क्र. सं. 4 से 9 रामराज नगर योजना में अधिवक्ताओं को दिनांक 22.02.2018 को आवंटित किये गये भूखण्ड है जिनकी मूल राशि जमा नहीं हुई है ।

अतः प्रकरण कार्यालय द्वारा आवंटियों को आवंटित रामराज नगर योजना सेक्टर–01 ग्राम चोखा के अतिक्रमित भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर, विधिक राय प्राप्त कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम) प्रकरण संख्या 493/2015, कान्ता जैन बनाम जेडिए की पालना में पूर्वी पाल रोड योजना के बदले अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/10620	माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम) प्रकरण संख्या 493/2015, कान्ता जैन बनाम जेडिए की पालना में पूर्वी पाल रोड योजना के बदले अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबधं में ।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 57 सेक्टर–'डी' पूर्वी पाल रोड योजना ग्राम क्षैत्रफल 12×21 मीटर = 252 में आवंटन श्री सुकनराज जैन पुत्र श्री वीरचन्द को किया गया था । श्री सुकनराम जैन पुत्र श्री वीरचन्द द्वारा भूखण्ड की पूर्ण कीमत राशि जमा करवा कर दिनांक 24.02.1990 को भूखण्ड को लाईसेन्स व साईट प्लान प्राप्त कर लिया गया । श्री सुकनराज जैन का स्वर्गवास दिनांक 10.12.1992 को हो जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश क्रमांक 1610 दिनांक 28.08.2008 के द्वारा उक्त भूखण्ड उनकी पत्नी श्रीमति कान्ता जैन के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया । उक्त योजना के खसरे में वाद/विवाद लम्बित होने के कारण भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका । प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया ।

माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम) के द्वारा प्रार्थीनी को पूर्वी पाल रोड योजना का कब्जा सुपुर्द किया जाना सम्भव नहीं हो तो परिवादिनी को इस भूखण्ड के समतुल्य माप का भूखण्ड समान सुख सुविधा वाली योजना में उपलबध करावें तथा अप्रार्थीगण

परिवादिनी को मानसिक व आर्थिक क्षति पेटे 25,000/– रूपये एवं परिवाद व्यय पेटे 5,000/–रूपये अदा करने के आदेश प्रदान किये गये ।

माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थीनी को पूर्वी पाल रोड योजना भूखण्ड संख्या 57 सेक्टर–डी क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर के समतुल्य आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार पूर्व में आवंटित भूखण्ड समान क्षैत्रफल का उपलब्ध नहीं हो तो लगभग (थोडा कम या ज्यादा) क्षैत्रफल का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना, आनन्द विहार योजना, अरणा विहार योजना व झरणा विहार योजना में विकल्प देकर स्थानान्तरण/क्षतिपूर्ति करने हेतु प्रार्थीनी को दिनांक 21.08.2019 व दिनांक 16.05.2022 को पत्र जारी कर भूखण्ड आवंटन करने की सहमति मांगी गई, परन्तु प्रार्थीनी द्वारा आज दिनांक तक भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत नहीं की गई । प्राधिकरण को माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए पूर्वी पाल रोड योजना भूखण्ड संख्या 57 सेक्टर–डी क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार राजीव गांधी नगर योजना में 252 वर्गमीटर का रिक्त भूखण्ड उपलबध नहीं है राजीव गाधी नगर योजना में 162 वर्गमीटर व 375 वर्गमीटर के रिक्त भूखण्ड उपलब्ध है जो पूर्व में आवंटित भूखण्ड क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर से अधिक छोटा व अधिक बडा होने के कारण प्रार्थीनी को अरणा विहार योजना सेक्टर–ए मे भूखण्ड संख्या 149 क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: **राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 390/274, 390/274/1, 391/271/2 एवं 391/271/3 कुल खसरान 4, कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा 12 बिस्वांसी पर आवासीय प्रयोजनार्थ योजना विकसित करने हेतु आवेदक श्री नरसिंह पुत्र श्री बाबूलाल वगैरह द्वारा प्रकरण संख्या L.U2012/JOD/2021-22/101025 की 90–क नियमन शाखा में संघारित मूल पत्रावली की डूप्लीकेट पत्रावली संधारित करने बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्रकरण की मूल पत्रावली उपलब्ध नही होने के कारण डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 390/274, 390/274/1, 391/271/2 एवं 391/271/3 कुल खसरान 4, कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा 12 बिस्वांसी पर आवासीय प्रयोजनार्थ योजना विकसित करने के संबंध में आवेदक श्री नरसिहं पुत्र श्री बाबुलाल वगैरह द्वारा दिनांक 20.01.2022 को प्रकरण संख्या L.U2012/JOD/2021-22/101025, आवेदन पत्र संख्या 24461 प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में उक्त वर्णित प्रकरण संख्या की 90–क नियमन शाखा में संघारित मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण में पत्रावली खोज हेतु दिनांक 23.05.2022 को सर्च नोट जारी किया गया था परन्तु मूल पत्रावली आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं हुई। उक्त वर्णित पत्रावली की गुमसुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर में दिनांक 31.05.2022 को दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में दिनांक 15.06.2022 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में डुप्लीकेट पत्रावली संघारित करने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हेतु आम सूचना का प्रकाशन भी करवाया जा चुका

है। अतः प्रकरण में प्राधिकरण कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17 अपैल 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या 09 के क्रम में डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	अन्यत्र भूखण्ड आवंटन के संबंध मे।	श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

नगर विकास न्यास/ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 11.9.1988 को भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना में श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम को आंवटन किया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.10.2010 के प्रस्ताव संख्या 12 में कीति नगर योजना सेक्टर बी में आवंटित भूखण्डो पर अतिक्रमण होने से आवंटित भूखण्ड की एवंज में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम को कीति नगर सेक्टर बी में आवंटित भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी की मूल पत्रावली उपलब्ध नही होने से लॉटरी में शामिल नही किया गया है। श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी की एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर के भूखण्ड संख्या बी–109 कीति नगर योजना की डुप्लीकेट पत्रावली बनवाकर अन्य भूखण्ड आवंटन करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आम सूचना 27.10.2021 को जारी की गई थी। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 28.10.2021 को करवाया गया था। इस संबंध में कोई आपत्ति एवं उजर/एतराज प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की है। इस हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.4.2009 के अनुसार प्रस्ताव संख्या 9 में डुप्लीकेट पत्रावली संधारित की जानी है। जो कार्यकारी समिति की दिनांक 15.12.2021 बैठक के प्रस्ताव संख्या 15 में निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना की डूप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया है।

अतः भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना की एवंज में अन्य भूखण्ड सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में समतुल्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: जयपुर–जैसलमेंर बाईपास पर नवीन हाईकोर्ट परिसर के समीप प्रस्तावित मास्टर प्लान सर्कल बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जयपुर–जैसलमेंर बाईपास पर नवीन हाईकोर्ट परिसर के समीप प्रस्तावित मास्टर प्लान सर्कल बाबत्।

प्रकरण पूर्व प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के प्रस्ताव संख्या 59 में निर्णय रखा गया। बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि ऐसे समान प्रकृति के और भी प्रकरण लम्बित हो सकते है। एन.एच बाईपास पर अन्य स्थानों पर फलाईओवर बाबत् सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त की जावें। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श समान प्रकृति ऐसे समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर एक साथ परीक्षण कर आगामी बैठक में विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें। समिति के निर्णय के कम में प्राधिकरण द्वारा अधिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एन.एच. डिविजन, जोधपुर को दिनांक 06.05.2022 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के कम में दिनांक 01.06.2022 को परियोजना निर्देशक जोधपुर द्वारा भिजवाई गई सूचना अनुसार जयपुर से जैसलमेंर बाईपास पर कुल 9 फलाईओवर प्रस्तावित है। जिसका प्रस्ताव निम्नानुसार है।

कम संख्या	लोकेशन का विवरण	Cainge	मास्टर प्लान अनुसार विवरण	प्रस्ताव
01.	जालेली MDR 114	9+867	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान के प्रस्ताव प्रभावित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
02.	राज्य राजमार्ग 58 जोधपुर–सोजत सिटी	16+431	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
03.	झालामण्ड हाईकोर्ट के समीप	21+546	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
04.	सांगरिया	26+723	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
05.	डी.पी.एस सर्कल	31+618	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
06.	डालीबाई सर्कल	34+029	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
07.	गढ गोविन्द के समीप	35+881	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान के प्रस्ताव प्रभावित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
08.	अरना झरना सर्कल	43+102	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान के प्रस्ताव प्रभावित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
09.	केरू सर्कल	45+535	प्रस्तावित फलाई ऑवर से मास्टर प्लान सर्कल प्रभावित है।	मास्टर प्लान सर्कल को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित सर्किल को विलोपित कर जंक्शन के चारों ओर कॉर्नर भूखण्डों में स्लीप लेन हेतु आवश्यक त्रिज्या की गोलाई रखने बाबत् मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रसतुत है। प्रस्तावित संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु जोधपुर अधिनियम 2009 की धारा 25 में विहित प्रकिया अनुसार आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी उचित होगी।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: "Development of Garden (Green Space) using Junk Material (Inspired by the Rock Garden, Chandigarh) at Surpura Dam, Jodhpur(Phase-2)" की लागत राशि रूपये 1397.97 लाख, की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को तीन भागों में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में split किये जाने का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/108330)	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को तीन भागों में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में split किये जाने का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में स्थित सुरपुरा बांध के पास भूमि पर द्वितीय चरण में वेस्ट टू वण्डर थीम पर डीपीआर कार्य के पश्चात् जिला कलक्टर महोदय द्वारा विकास कार्यों के संबंध में ली गयी मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 131 दिनांक 04.05.2022 को राशि रूपये 1397.97 लाख की जारी की गयी।

उक्त कार्य के तीन मुख्य घटकों Sculpture, Art work, Civil & Horticulture work, Electrification work में तीनों ही घटकों की कार्य प्रकृति अलग होने से किसी एक एजेंसी द्वारा कार्य हेतु आवश्यक योग्यता हासिल कर पाना मुश्किल होने तथा प्रतिस्पर्द्धी दरें प्राप्त नहीं होने की दशा में उक्त कार्य को 3 भागों में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में split किये जाने का निर्णय लिया गया। निदेशक अभियांत्रिकी महोदय के पत्रांक 447 दिनांक 19.05.2022 द्वारा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को split किया गया।

अतः प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को तीन भागों में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में split किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: "Development of Garden (Green Space) using Junk Material (Inspired by the Rock Garden, Chandigarh) at Surpura Dam, Jodhpur(Phase-2)" की लागत राशि रूपये 1397.97 लाख, की कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/108330)	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में स्थित सुरपुरा बांध के पास भूमि पर द्वितीय चरण में वेस्ट टू वण्डर थीम पर डीपीआर कार्य के पश्चात् जिला कलक्टर महोदय द्वारा विकास कार्यों के संबंध में ली गयी मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 131 दिनांक 04.05.2022 को राशि रूपये 1397.97 लाख की जारी की गयी।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में "Development of Garden (Green Space) using Junk Material (Inspired by the Rock Garden, Chandigarh) at Surpura Dam, Jodhpur(Phase-2)" की लागत राशि रूपये 1397.97 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक पं.10(1)नविवि / 1 / 2003 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक पं.40(35) सामान्य / 2020 / 3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(01)नविवि / 2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 के तहत गैर राजकीय भूमि, अधिक वं अतिरिक्त कार्यो एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गये विकास कार्यो का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कार्यो का कमेटी द्वारा प्रस्तावित भुगतान / व्यय तथा मापपुस्तिका में रेड सील पश्चात इन्द्राज माप के अनुसार प्रस्तुत अंतिम बिल राशि निम्नानुसार है :–

क्र. सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबंध	कमेटी द्वारा प्रस्तुत कुल भुगतान	रेड सील पश्चात माप के अनुसार भुगतान योग्य शेष राशि
01	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	मैसर्स संतोष नारायण सिह/कानसिह	एफ 38 (38) 2012-13	2012511/-	2926882/-

इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत राशि रूपये 62.00 है तथा कुल व्यय की राशि रूपये 49.39 लाख है जो पर्वू में रूपये 31.18 लाख ही बताया गया है।

अतः वास्तविक प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्य की राशि तक रूपये 49.39 लाख की स्वीकृति अपेक्षित है तथा प्रकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में समस्त तथ्यों का समावेश कर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: बाईजी का तालाब के संरक्षण, सौन्दर्यकरण एवं विकास के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	बाईजी का तालाब के संरक्षण, सौन्दर्यकरण एवं विकास के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

बाईजी का तालाब के संरक्षण, सौन्दर्यकरण एवं विकास के कार्य हेतु कार्य का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर उतर में होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति एवं प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 1200.00 लाख कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: Supply & fixing of chairs for stands in Barkatullah khan stadium , Jodhpur कार्यादेश अनुमोदन हेतु।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Supply & fixing of chairs for stands in Barkatullah khan stadium, Jodhpur

		कार्यादेश अनुमोदन हेतु।

Supply & fixing of chairs for stands in Barkatullah khan stadium, Jodhpur का कार्यादेश मैसर्स उमा प्लास्टिक को कमेटी द्वारा स्वीकृत दर 1888/– प्रति कुर्सी कुल राशि रू. 45387520/– का कार्यादेश जारी किया गया।

अतः कार्यादेश राशि रू. 45387520/– का अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: **Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc.की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का अनुमोदन हेतु।**

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc.की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का अनुमोदन हेतु।

Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc. में मैसर्स स्टुडियों एक्स–पी मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत दर 85300000/– प्रति जोब कुल कार्यादेश राशि रू. 85300000/– की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: **मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कंन्ट्रोल रूम कार्यालय भवन नई सडक सोजती गेट जोधपुर में निर्माण कार्य प्रथम फेस हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।**

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है।	मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कंन्ट्रोल रूम कार्यालय भवन नई सडक सोजती गेट जोधपुर में निर्माण कार्य प्रथम फेस हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कंन्ट्रोल रूम कार्यालय भवन नई सडक सोजती गेट जोधपुर में निर्माण कार्य प्रथम फेस हेतु कार्य का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर उत्तर में होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति एवं प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 2845.00 लाख कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में सुरक्षाकर्मी (रेस्को) आपूर्ति का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	जोधपुर विकास प्राधिकरण में सुरक्षाकर्मी (रेस्को) आपूर्ति का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में सुरक्षाकर्मी (रेस्को) आपूर्ति का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राशि रू. 170.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित उपायुक्त–उत्तर ने अवगत कराया कि श्री जगदीश प्रसाद बुनकर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर का आर.ओ.बी. निर्माण हेतु जेडीए द्वारा भदवासिया स्थित निगम कार्यशाला से अधिग्रहण की गई भूमि के भुगतान के संबंध में पत्र कमांक एफ/मुख्या/संपत्ति/2022/ढी–225 दिनांक 27 अप्रैल, 2022 प्राप्त हुआ है। जिसको इस बैठक में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस पर बैठक में सर्व सम्मति से उपायुक्त–उत्तर के उक्त प्रस्ताव को टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया। जो इस प्रकार है:–

प्रस्ताव संख्या 35 :: आरओबी निर्माण हेतु जेडीए द्वारा भदवासिया स्थित निगम कार्यशाला से अधिग्रहण की गई भूमि के संबंध में।

बैठक में उपायुक्त–उत्तर ने अवगत कराया कि श्री जगदीश प्रसाद बुनकर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर का आर.ओ. बी. निर्माण हेतु जेडीए द्वारा भदवासिया स्थित निगम कार्यशाला से अधिग्रहण की गई भूमि के भुगतान के संबंध में आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर पत्र कमांक एफ/मुख्या/संपत्ति/2022/डी–225 दिनांक 27 अप्रैल, 2022 प्राप्त हुआ है। जो निम्नानुसार है:–

"उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोधपुर शहर में राज्य सरकार स्तर पर आरओबी निर्माण हेतु आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत मुख्य सचिव महोदय द्वारा 27.03.2011 को आयोजित बैठक में लिये

गये निर्णय अनुसार भदवासिया स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यशाला की 4531.97 वर्ग मीटर भूमि तथा 1624.51 वर्गमीटर भवन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तथा भूमि/भवन के समान मूल्य की भूमि की देसूरियान विश्नोईयान में उपलब्ध करवाई जाकर निगम द्वारा कार्यशाला व सेटेलाईट बस स्टेण्ड का निर्माण किया जावे निर्णय लिया गया।

आरओबी हेतु जेडीए स्तर पर निगम भदवासिया स्थित कार्यशाला की 4531.96 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई जिसकी वाणिज्य दर 23428.32 रूपये प्रति वर्ग मीटर से कुल कीमत 10,61,76,209 रूपये का आंकलन कर निगम को उक्त भूमि के एवज में देसूरियान विश्नोईयान में 17 बीघा जमीन का आवंटन निगम को संशोधित आवंटन दिनांक 17.09.2013 द्वारा किया गया। जोधपुर क्षेत्र में निर्धारित बीघा माप के अनुरूप 17 बीघा भूमि 27517.72 वर्गमीटर (32912.00 वर्गगज) जिसकी डीएलसी दर 2400 रूपये प्रति वर्गमीटर से राशि 6,60,42,535.68 रूपये आती है।

देसूरियान विश्नोईयान में निगम को आरओबी हेतु जेडीए द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि की एवज में भूमि दी गई है जिसके तत्समय कार्यशाला/केन्द्रीय कार्यशाला को पूर्ण रूप से स्थानान्तरित करने हेतु निगम स्तर पर स्पष्ट सहमति न होकर अपितु आवंटन की स्थिति में निःशुल्क आवंटन करते हुए प्रशासनिक शुल्क एवं एकमुश्त लीज आदि की शर्तें हटाकर संशोधित भूआवंटन की मांग की गई। (पत्रांक 774 दिनांक 16.12.2011)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत जोधपुर शहर में पावटा स्थित राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के विस्तार एवं विकास के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 07.02.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान संचालित निगम बस स्टेण्ड से लगती मण्डी समस्त भूमि 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि रोडवेज बस स्टेण्ड के विकास हेतु दी जाकर भदवासिया स्थित निगम की केन्द्रीय/आगार कार्यशाला की समस्त भूमि मण्डी को दी जाकर निगम केन्द्रीय/आगार कार्यशाला का निर्माण देसूरियान विश्नोईयान में स्थानान्तरित किया जाये का निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार माननीय मुख्यमत्री महोदय की बजट घोषणा की कियान्विति हेतु कार्यवाही अंतर्गत प्रशासन/जेडीए की देसूरियान विश्नोईयान में 17 बीघा भूमि का आवंटन समस्त कर–लीज राशि इत्यादि से मुक्त कर निशुल्क आवंटित किया जाना अपेक्षित था जिसमें सरकार स्तर पर देसूरियान विश्नोईयान में केन्द्रीय/आगार कार्यशाला के निर्माण हेतु राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई है तथा केन्द्रीय कार्यशाला स्थानान्तरित निगम कार्य में ली जा रही है।

अतः चूंकि देसूरियान विश्नोईयान में भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के कियान्विति के अन्तर्गत है। अतः उस पर निगम स्तर पर किसी प्रकार से देय राशि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जेडीए द्वारा आरओबी हेतु अधिग्रहण की गई भूमि 4531.96 वर्गमीटर कुल कीमत 10,61,76,209 रूपये निगम को देय होती है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत कर निगम की उक्तानुसार देय राशि 10,61,76,209 रूपये उपलब्ध करवायें जाने का श्रम करें।"

अतः उपरोक्त पत्र के संबंध में कार्यकारी समिति की इस बैठक में समुचित निर्णय लिया जाना है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपायुक्त–उत्तर को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं कृषि उपज मण्डी के अधिकारियों के साथ प्राधिकरण में बैठक में आयोजित

करवाकर संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग–12/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 103 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2022/1242-60 दिनांक :: 29 जून 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री (डॉ.) इन्द्रजीत यादव, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16 जून, 2022 को दोपहर बाद 3.30 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री संदीप वर्मा, आई.ए.एस., अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जयपुर (जरिये Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/usp-uwve-prp)
2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर
3. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता–नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता–सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सी.सी.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री सुनिल पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुलिस (ग्रामीण), जोधपुर
7. श्री एन.सी. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जोधपुर
8. श्रीमती अंशु जैन, सहायक उपायुक्त पुलिस (यातायात), यातायात पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
9. श्री राजेश कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
10. श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
11. श्री राकेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर वृत–प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
12. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, निदेशक–विधि (उप विधि परामर्शी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री राकेश कुमार शर्मा, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री नीरज मिश्रा, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0